कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

पत्रांकः 443 / 33-1 /दिनांक, बॉदा, जुलाई, 16 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :— जनपद चित्रकूट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एन0एच0 76/35 के किनारे 11 के0बी0 की भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.39 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक–2097/11सी–चित्रकूट दिनांक 22.05.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/TRANS/11592/2015 क्षेत्रफल 0.39 हे0 आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 18 बिन्दुओं की आपत्ति के साथ वापस किया गया था जिसे प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट ने अपने कार्यालय पत्रांक–202/33–1 दिनांक 16.07.2015 द्वारा की गयी 18 बिन्दुओं की आपत्ति का निस्तारण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसकी तीन प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न टोपोशीट में प्रस्तावित स्थल को चिन्हित कर लीजेण्ड अंकित कर अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अधोहस्ताक्षरी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।
3. संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट क प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. प्रस्तावित वन भूमि की गणना पर अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरी अंकित है।
5. भू–सन्दर्भित डिजिटल मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
6. उक्त प्रस्ताव लीनियर प्रस्ताव है प्रस्तावित कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन नही होना है परन्तु उक्त संरक्षित वन भूमि में वृक्ष पूर्व से खड़े हुये है जिनका हरियाली घनत्व 0.3 है।
7. क्षतिपूरक वनीकरण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय की वचनबद्वता अधोहस्ताक्षरी द्वारार प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
9. प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्वता अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
10. चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
11. प्रस्तावित वन भूमि में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग , बांदा का स्वामित्व है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मक डिस्पोजल योजना की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
13. वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश दिनांक 28.10.2014 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव बिहार/सेंचुरी न पड़ने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
15. परियोजना की स्वीकृति संलग्न है।
16. सम्बन्धित मानक शर्ते संलग्न है।

—2

17. उक्त सूचनायें पूर्ण कर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
18. ऑन लाइन ई0डी0एस0 का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है। जो आपके स्तर पर है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

16/7/18

(डा0 के0एल0 मीना)
वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा

संख्या : 443 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/7/18

(डा0 के0एल0 मीना)
वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा